



# कार्यालय जबलपुर विकास प्राधिकरण, जबलपुर

क्र./सम्पत्ति/

जबलपुर, दिनांक / / 2024

## ऑनलाईन ऑफर आमंत्रण सूचना

प्राधिकरण की निम्नानुसार सम्पत्तियों के यथास्थिति विक्रय हेतु ऑनलाईन बोली (ऑफर आमंत्रण) पोर्टल [www.vikaspradhikran.mponline.gov.in](http://www.vikaspradhikran.mponline.gov.in) पर आमंत्रित किये जाते हैं।

सम्पत्तियों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	सम्पत्ति क्र.	सम्पत्ति का उपयोग	क्षेत्रफल (व.मी. में) (अनुमानित)	आरक्षण की श्रेणी	सम्पत्ति का न्यूनतम विक्रय दर (रु.)	अमानत राशि (न्यूनतम मूल्य का 10 %)
<b>योजना क्र. 05 (कचनार), विजयनगर विला</b>						
1	विला क्र. 04	आवासीय	172.14	पत्रकार/रिपोर्टर (तृतीय आमंत्रण)	<b>8582215.00</b>	<b>858222.00</b>
2	विला क्र. 09	आवासीय	129.84	अनारक्षित	<b>10053816.00</b>	<b>1005381.00</b>
3	विला क्र. 25	आवासीय	150.52	अनारक्षित	<b>8122268.00</b>	<b>812227.00</b>
<b>योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (एमआईजी फ्लैट) ब्लॉक – ए</b>						
1	A-14 (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
2	A-15 (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
<b>योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (एमआईजी फ्लैट) ब्लॉक – बी</b>						
1	B-3 (प्रथम तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
2	B-5 (द्वितीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
3	B-13 (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
<b>योजना क्रमांक 11 (द्वि.च.) (एमआईजी फ्लैट) ब्लॉक – सी</b>						
1	C-3, (प्रथम तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
2	C-7, (द्वितीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
3	C-9, (तृतीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
4	C-10, (तृतीय तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
5	C-13, (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>
6	C-14, (चतुर्थ तल)	आवासीय	95.26	अनारक्षित	<b>41,80,000.00</b>	<b>4,18,000.00</b>

**प्रक्रिया:-** 1.योजना की विस्तृत जानकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण के पोर्टल [www.jdajabalpur.org](http://www.jdajabalpur.org) एवं [www.vikaspradhikran.mponline.gov.in](http://www.vikaspradhikran.mponline.gov.in) पर उपलब्ध है।

आवेदन की अवधि	15.03.2024 से 15.04.2024
बिड डालने की अंतिम तिथि	15.04.2024 सायं 05 बजे तक
ऑफर खुलने की तिथि	18.04.2024 (दोप. 03:00 बजे)

2. ऑनलाईन आवेदन फार्म रु. 1000.00 एवं जीएसटी 180.00 पोर्टल फीस ऑनलाईन भुगतान कर उक्त पोर्टल पर क्रय किये जाकर निर्धारित शेड्यूल अनुसार भरे जा सकते हैं।

3. बोली/ऑफर प्रस्तुतकर्ताओं को कॉलम क्रमांक 7 में अंकित बोली/ऑफर की प्रतिभूति राशि (अमानत राशि) पोर्टल पर दिये गये निर्देशानुसार जमा करना होगी, तभी पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण मानी जावेगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध है।

**अन्य नियम एवं शर्त:-** (1) संपत्ति का आवंटन 30 वर्ष की लीज अवधि पर निर्धारित प्रयोजन हेतु ही किया जायेगा एवं संपत्ति की प्राप्त अधिकतम कीमत की 0.1 प्रतिशत राशि वार्षिक भूभाटक के रूप में प्रतिवर्ष देय होगी। (2) सम्पत्ति क्रय हेतु ऑनलाईन ऑफर आवेदन स्थल निरीक्षण करने के उपरांत ही सबमिट करें, तत्पश्चात् कोई दावा/आपत्ति मान्य नहीं होगा। (3) किसी अवयस्क द्वारा प्रस्तुत किया गया ऑफर आवेदन मान्य नहीं होगा। (4) आरक्षित (पत्रकार रिपोर्टर) वर्ग हेतु विज्ञापन प्रकाशन दिनांक की स्थिति में म.प्र. शासन द्वारा जारी की गई अधिमाम्य सूची में नाम होना अनिवार्य है। (5) ऑफर स्वीकृत होने के बाद ऑफरकर्ता को मूल शपथ पत्र कार्यालय में जमा करना होगा तथा डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, आई.डी. प्रूफ एवं अन्य वांछित दस्तावेजों की मूल प्रति कार्यालय में अवलोकन कराना अनिवार्य होगा। (6) संपत्ति की शेष राशि अस्थाई आवंटन सूचना पत्र जारी होने की तारीख से 30 दिवस के भीतर भुगतान किया जाना होगा, एकमुश्त राशि जमा न की जाने एवं आवंटि की मांग पर नियमानुसार अधिकतम 8 (आठ) त्रैमासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा प्रदाय की जावेगी तथा ऐसी किस्तों पर 10 प्रतिशत दर से वार्षिक ब्याज भी देय होगा। (7) किस्त राशि विलंब से जमा करने पर विलंबित अवधि पर 10 प्रतिशत दर से पृथक से ब्याज भी देय होगा। व्यावसायिक सम्पत्ति की प्रीमियम राशि, विलंब ब्याज राशि एवं भूभाटक राशि इत्यादि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. पृथक से देय है। (8) राशि समयसीमा में जमा न करने पर

प्राधिकरण द्वारा आवंटन निरस्त किया जा सकेगा एवं प्रीमियम राशि में से नियमानुसार कटौती उपरांत शेष बची राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी, ब्याज सहित वापिसी हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा। (9) क्रेता को किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थों या ऐसे किसी अन्य पदार्थ के संग्रहण की अनुमति नहीं होगी, जो उसकी सम्पत्ति तथा आसपास की सम्पत्ति के लिये असुरक्षित हों। (10) विस्तृत नियम एवं शर्तें ऑनलाईन पोर्टल पर उपलब्ध हैं, जिन्हें अच्छी तरह से पढ़ने के बाद ही ऑफर-आवेदन करें। (11) ऑफर स्वीकृत/निरस्त किये जाने, विज्ञापित सम्पत्ति को विलोपित किये जाने इत्यादि के संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा तथा इस सम्बन्ध में प्राधिकरण कोई कारण बताने हेतु बाध्य नहीं रहेगा। (12) उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त व्ययन नियम एवं समय-समय पर जारी शासनादेश, अनुबंध तथा आवेदन पत्र में दी गई शर्तें आवेदक को मान्य होंगी। (13) उपरोक्त विज्ञापन, ऑनलाईन निर्दिष्ट आवेदन पत्र, अनुबंध एवं लीजडीड में दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन पर सम्पत्ति का आवंटन निरस्त करने हेतु भी प्राधिकरण स्वतंत्र होगा। (14) संपत्ति में प्रीमियम के अलावा निर्धारित वांछित रखरखाव/प्रशासकीय या अन्य शुल्क इत्यादि के भुगतान करने हेतु भी आवंटनी बाध्य होंगे। (15) उच्चतम बोलीकर्ता के अतिरिक्त अन्य बोलीकर्ताओं के द्वारा जमा अमानत राशि ऑफर खोले जाने की दिनांक से 30 कार्यदिवस में संबंधित एमपी ऑनलाईन पोर्टल/अधिकृत एजेन्सी द्वारा सीधे बोलीकर्ता के बैंक खाते में वापिस (रिफण्ड) कर दी जावेगी किन्तु आवेदन शुल्क वापिस (रिफण्ड) वापस नहीं किया जावेगा। (16) आयकर अधिनियम 194/1ए अनुसार 50 लाख से अधिक की संपत्ति पर 1 प्रतिशत आयकर (टीडीएस) की राशि उच्चतम ऑफर मूल्य पर नियमानुसार कटौती कर आयकर कार्यालय में जमा उपरांत फॉर्म 16-ए की एक प्रति प्राधिकरण कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा। (मु.का.अधि.महो.द्वारा यथा आदेशित)

**संपदाधिकारी**

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर

पृ.क्र./जविप्रा/

जबलपुर दिनांक / /2024

प्रतिलिपि:-1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष महोदय, जविप्रा, जबलपुर को, मान. अध्यक्ष महोदय को अवगत कराने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

2. सम्भागायुक्त कार्यालय, नोटिस बोर्ड, जबलपुर ।
3. कलेक्टर कार्यालय, नोटिस बोर्ड, जबलपुर ।
4. निगमायुक्त, नोटिस बोर्ड, जबलपुर ।
5. सम्पादक महोदय दैनिक ..... समाचार पत्र को अपने अंक दिनांक ..... में साईज ..... में प्रकाशन हेतु।
6. समस्त कार्यपालन यंत्री श्री ..... जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।
7. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को न्यूनतम स्पेश में प्रकाशन की कार्यवाही हेतु।
8. कम्प्यूटर शाखा, जविप्रा, जबलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
9. लेखाधिकारी, जविप्रा, जबलपुर को सूचनार्थ।

**संपदाधिकारी**

जबलपुर विकास प्राधिकरण

जबलपुर